salt Lake City of Calcutta. The Cement Controller informed the West Bengal Government of his inability to make any *ad hoc* allocation of cement for the construction of the stadium.

The quota allotted by the Central Government is too inadequate to meet even the urgent developmental needs of the State. Unless the quota of allotment of cement is increased, it will not be possible for the State Government to complete the stadium.

I, therefore, urge upon the Government to increase the cement quota of West Bengal.

(iv) ENLISTING OF TRIBALS IN THE CURRENT CENSUS OPERATIONS.

SHRI PIUS TIRKEY (Alipurduar): It is a matter of great regret that there is no uniformity in enlisting the tribals in the list of Scheduled Tribes in different States of India. The tribals are national assets and tribalism is a national issue. But, at present, tribals are not being recognised at the national level. The Scheduled Tribes residing in the Union Territories of Delhi, Andaman and Nicobar etc. and in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh etc. are being debarred from their rights of being tribals. The present census operation in the midst of this uncertainly of the principles of tribalism would be *ultra vires* and unconstitutional.

In many parts of India, for example, Bombay, Delhi, Gujarat, Haryana, Punjab and Assam, the census operation is vehemently being opposed. Tribalism has become a new property of the persons belonging to Scheduled Tribe community. The tribal people inheriting this property in certain States shall never lose it in another State. If this property is snatched in any State, or in Union Territories, then this will amount to a robbery or a dacoity. In the midst of this uncertainty, the denial of this valuable property and personal right of the tribal people living in parts of the country would be an injustice to the tribal people by the respective State Governments and Union Territories. The Home Minister and the Law Minister should immediately clarify the position.

Therefore, I submit that a Parliamentary Committee for revision of the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes may please be formed early.

(v) NEED TO STOP CONSTRUCTION OF DAM IN GHAZIPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH.

श्री अंनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गाजीपुर बलिया मार्ग पर गौसपुर से बलिया बैरिया बांध तक बाढ़ की रोकथाम के लिए एक बांध बनाए जाने की कार्यवाही चल रही है। उक्त कार्यवाही से बाढ़ की रोकथाम तो नहीं हो पाएगी लेकिन गाजीपुर बलिया मार्ग और गंगा नदी के बीच में स्थित गांवों को बाढ़ के समय जबर्दस्त खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह गांव बुरी तरह पानी में डूब जाएंगे। कच्चे बांध के टूटने की स्थिति में सड़क के दूसरी तरफ के गांव भी पानी की तेज धारा के प्रवाह में विलीन हो जाएंगे।

एक खतरा यह भी है कि भमई नदी का पानी जो उस क्षेत्र में बरसात के जमाने में फैल जाता है उसे भी निकालने में कठिनाई होगी और उक्त क्षेत्र के बहुत सारे भाग हमेशा पानी में डूबे रहेंगे।

[श्री जैनुल बशर]

उक्त बांध के बनाए जाने की कार्यवाही अदूरदर्शितापूर्ण है और इस से गाजीपुर और बलिया जिलों में बड़े पैमाने पर रोष व्याप्त है। इस बात को रोके जाने के लिए उस क्षेत्र की जनता द्वारा सत्याग्रह की भी धमकी दी गई है।

केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त बांध बनाए जाने की कार्यवाही को तुरन्त रद्द करे जिस से कि उस क्षेत्र के लोग राहत की सांस लें।

(vi) INSTALLATIONS OF A RADIO STATION IN THE BORDER DISTRICTS OF BARMER/JAISELMER OF RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोकमहत्व के निम्नलिखित प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

केन्द्र सरकार ने रेडियो प्रसारण की दृष्टि से राजस्थान प्रांत के सीमावर्ती एवं पिछड़े लोक सभा क्षेत्र बाड़मेर एवं जसलमेर जिसका क्षेत्रफल 70 हजार वर्ग किलोमीटर है और जो केरल प्रान्त से दुगुना और हरियाणा प्रान्त से पौने दो गुणा है, की घोर उपेक्षा कर रखी है।

आल इंडिया रेडियो के दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सूरतगढ़ स्टेशनों की आवाज उक्त क्षेत्र के आधे हिस्से में बिल्कुल मंद पहुंचती है और आधा क्षेत्र रेडियो प्रसारण की सेवाओं से वंचित रहता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बाड़मेर एवं जैसलमेर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था, परन्तु वित्तीय कठिनाई का सहारा लेकर उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में भी इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है और उक्त क्षेत्र की घोर उपेक्षा की जा रही है। उक्त क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर आया हुआ है। उक्त क्षेत्र देश का प्रहरी है, परन्तु उक्त क्षेत्र की जनता के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए रेडियो प्रसारण की सेवाओं का लाभ भी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है।

दूसरी ओर पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन करांची, लाहोर आदि बड़ी शक्ति के स्टेशन हैं, जिनकी बुलन्द आवाज मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर के सारे हिस्से में पहुंचती है। सूचना और प्रसारण विभाग इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री से निवेदन है कि वे बाड़मेर एवं जैसलमेर में सन् 1981-82 में रेडियो स्टेशन स्थापित करा-कर जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करें।

(vii) ATROCITIES ON PRISONERS IN CENTRAL JAIL, SAMASTIPUR AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय मैं नियम 777 क अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

देश के अनेक भागों से जेल में हो रहे कैदियों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी भागलपुर कांड की गूंज दब भी नहीं पायी थी कि बिहार पुलिस ने समस्तीपुर केन्द्रीय जेल में 14 जनवरी, 1981 को निर्दोष कैदियों पर निर्ममतापूर्ण गोली चलाकर